राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज

कटरिया याकूबपुर, अम्बेडकरनगर (उ०प्र०) – 224122 भारत

Rajkiya Engineering College

Katariya Yakoobpur, Ambedkar Nagar, (U.P.) - 224122

AICTE APPROVED GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE

Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Lucknow, U.P., India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Cell Phone: +91-7567978865
Website: www.recabn.ac.in
E-mail: arif.iqbal@recabn.ac.in

Dr. Arif Iqbal
Associate Dean (Students Welfare)

पत्रांक सं० 16 /DSW/RECABN/2020 दिनाँक: 02/09/2020

सूचना

संस्थान में अध्ययनरत् सभी छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति आवेदन फार्म/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म के बारे में समाज कल्याण के कार्यालय से प्राप्त **"छात्रों के लिए निर्देश"** के सन्दर्भ में है जो कि इस सूचना के साथ संलग्न है। सभी छात्र–छात्राओं को निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए नए एवं नवीकरण छात्रवृत्ति आवेदन फार्म/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म को आनलाइन माध्यम से आवेदन किये जायेंगे। उक्त निर्धारित निर्देशों का अनुपालन न करने कि दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र–छात्राओं की होगी।

Arif Iqbal
(डा० आरिफ इकबाल)
सह–अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:–

1. निदेशक, महोदय को सूचनार्थ।
2. डीन एकेडमिक।
3. डी०एस०डब्ल्यू०।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. कालेज की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए श्री आशीष मिश्रा।
6. समस्त सूचनापट्ट।

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1–छात्र क्या करें:–

- ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यकमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु एन0बी0ए0 ग्रेडिंग होना आवश्यक है, इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नैक ग्रेडिंग–बी अथवा उससे उपर होना आवश्यक है। उक्त दोनो ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पाने हेतु पात्र होगें। छात्र प्रवेश लेते समय संस्थान की उक्त ग्रेडिंग को अवश्य देख लें।
- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यकम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास एकत्रित कर लें।
- हाई–स्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का ही उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है। कक्षा 9–10 के छात्र भी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में अंकित किये गये नाम एवं जन्म तिथि का मिलान उसी तरह से आधार कार्ड में अंकित की गयी प्रविष्टियों से हो सके। कक्षा 9–10 के छात्र अपनी जन्म तिथि सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित करें तथा तद्नुसार आधार कार्ड को अपडेट करायें।
- बिना आधार नम्बर के छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना सम्भव नहीं होगा। आधार नम्बर का डेमोग्रेफिक वेरीफिकेशन (नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) होने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्परेरी लाक कर सकेगा।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा– हाईस्कूल/इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण–पत्र का कमांक एवं आवेदन का कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यकम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यकम एवं पाठ्यकम का प्रकार, आय प्रमाण–पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच कर लें तदोपरान्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण–पत्र कमांक एवं आवेदन कमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- संस्थान द्वारा छात्र का आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्थान उस छात्र का आवेदन वापस कर सकेगा, लेकिन ऐसे आवेदनों को 07 दिन के भीतर छात्र को सही करके संस्थान से अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (**Non Refundable fees**) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- नवीनीकरण के छात्र आवेदन पत्र भरने के लिये समय सारिणी में निर्धारित समयावधि एवं अन्तिम तिथि से पूर्व ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें जिससे कि नवीनीकरण के पात्र छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर 2020 तक छात्रवृत्ति की धनराशि दी जा सके।

Associate DSW
Pls inform to all students & do the needful.
31.08.2020

- नवीन एवं नवीनीकरण श्रेणी के अवशेष छात्र समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि की सीमा के अन्तर्गत ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। छात्र यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा समय–सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में ही आवेदन पत्र अग्रसारित कर दिया जाय।
- आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बैंक खाते में ही हो पायेगा। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से KYC (Know your customer) भी पूर्ण हो जाती है। अपनी बैंक शाखा में KYC (Know your customer) फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे अर्थात बन्द न हो।
- बचत बैंक खाता संख्या (CBS) एवं IFSC कोड को भलीभांति जांच लें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या या बिना आधार सीडेड खाता संख्या भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल (Non refundable) फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व IFSC कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यकम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यकम, पाठ्यकम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
- छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वयं का ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.gov.in पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लघंन कदापि न करें अन्यथा आप वरीयता में नीचे चले जाने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क पाने से वंचित हो सकते हैं।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/वापस करने/रिजेक्ट करने पर आपके मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी भेजा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा आपका आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित हो जाय।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा– आधार नम्बर,हाईस्कूल का अनुकमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र वार्षिक परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर) का परीक्षाफल प्रकाशित न होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन पत्र में Result Yet Not Declared का आप्सन भरकर आवेदन कर सकेगें। Result Yet Not Declared से सम्बन्धित छात्र का आवेदन प्रत्येक दशा में संदेहास्पद डाटा के रूप में प्रदर्शित होगा तथा छात्र का परीक्षा फल सन्देहास्पद डाटा को सही करने की दी गई समयावधि में छात्र द्वारा पूर्ण करके आवेदन को फाइनल करना होगा तथा संस्था को भी परीक्षा परिणाम की पुष्टि करते हुए समयान्तर्गत अग्रसारित करना होगा। सन्देहास्पद डाटा को सही करने की अन्तिम तिथि तक परीक्षाफल घोषित न होने पर

ऐसे डाटा को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दी जायेगी अर्थात डाटा को जनपद स्तर पर रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र का आधार नम्बर, हाई–स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

24.8.20

निदेशक
समाज कल्याण

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक मु०

सिद्धार्थ मिश्र
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय